

ति खबड़ी देवां के  
ारों से खजद प्रमुख  
आइ दोषी नहीं है,  
और आरएसएस के  
रहा है।

रु जब उन्हें सीबीआइ  
जानकारी मिली तो  
हयोग करने को कहा  
को सिक्वोरिटी देने  
हा कि सीबीआइ की  
रीडिया पर गलत खबरें

क्र. काउंसिलिंग हेतु  
सं. निर्धारित तिथि

काउंसिलिंग हेतु आवेदित क्रमांक

(1) (2)

(3)

- 01 17 जुलाई, 2017 विज्ञान वर्ग में (Science Stream): क्रमांक-1 से क्रमांक-90 तक
- 02 18 जुलाई, 2017 विज्ञान वर्ग में (Science Stream): क्रमांक-91 से क्रमांक-220 तक
- 03 19 जुलाई, 2017 विज्ञान वर्ग में (Science Stream): क्रमांक-221 से क्रमांक-312 तक  
विज्ञानेतर वर्ग में (other than Science Stream):- क्रमांक-1 से क्रमांक-25 तक
- 04 20 जुलाई, 2017 विज्ञानेतर वर्ग में (other than Science Stream):- क्रमांक-26 से क्रमांक-170 तक
- 05 21 जुलाई, 2017 विज्ञानेतर वर्ग में (other than Science Stream): क्रमांक-171 से क्रमांक-323 तक
- नोट:- चयनित अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वेबसाइट  
[www.ubse.uk.gov.in](http://www.ubse.uk.gov.in) में घोषित डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 2016 परिणाम में अपने  
अनुक्रमांक के सम्मुख अंकित अपना क्रमांक देख लें (विज्ञान व विज्ञानेतर वर्ग के पृथक-  
पृथक)।



मुख्यालय उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

29/20, नैगी रोड, झालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

फोन: 0135-2658086, फैक्स: 0135-2718092,

E-mail: [msukpcb@yahoo.com](mailto:msukpcb@yahoo.com), Website: [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in)

Ref. UEPPCB/HO/NOC-6068/2095-533

Date: -06.07.2017

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

मै0 पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के 5040 MW क्षमता की जल विद्युत परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं कार्यकारी सार तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। उक्त परियोजना उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों के क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। ईआई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (स्थासशोधित 2009) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद-चम्पावत, या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अमिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास-विकास कालोनी, हल्द्वानी, कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत; कार्यालय जिला पंचायत, चम्पावत; नगर पालिका परिषद, चम्पावत जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत में उपलब्ध हैं, जिनका इच्छुक संस्था/व्यक्ति द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति राज्य बोर्ड की वेबसाइट [www.ueppcb.uk.gov.in](http://www.ueppcb.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मै0 पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, द्वारा जिला-चम्पावत में प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कुल 5040 MW जल विद्युत परियोजना के पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनपद-चम्पावत क्षेत्र हेतु लोक सुनवाई दिनांक 09.08.2017 को प्रातः 11:00 बजे से सभागार, विकास खण्ड बाराकोट, चम्पावत में निर्धारित की गयी है। अतः जन सामान्य को सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझाव मौखिक, लिखित, विचार, टीका-टिप्पणियाँ और आक्षेप इस कार्यालय में विज्ञापन प्राकशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रेषित कर सकते हैं। अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

राखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)